

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 393/2024

आजीव कुमार पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुलोचना पुत्री स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 26.07.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फेसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हक सिद्ध किया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी आजीव कुमार पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-  
चक 4 पी.टी.पी. खाता सं. 115/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

140/137 23 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,18/0.253 है.प्र.

कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादीया सं. 1 कौशल्या देवी पत्नी स्व. श्री भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
चक 4 पी.टी.पी. खाता सं. 115/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
प.नं. मु.नं. कि.नं.

140/137 23 23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीया एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 4 पी.टी.पी. के खाता सं. 115/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.518 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर। उपरोक्तानुसार खाता अलग किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक ..... निल ..... बाबत् .....  
निल..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....को अदा करे।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 26.7.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया